37- बंधनामा–ऋण का पृष्ठांकन के द्वारा समनुदेशन

यह समनुदेशन का विलेख क ख, आयु.....वर्ष आदि.....जिसे आगे समनुदेशक कहा गया है (जिस पद के अर्थ में समनुदेशक के दायद, उत्तराधिकारी तथा प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं) के द्वारा ग घ, आयु.....वर्ष आदि.....जिसे आगे समनुदेशिती कहा गया है (जिस पद के अर्थ में समनुदेशिती के दायद, उत्तराधिकारी तथा समनुदेशित व्यक्ति भी सम्मिलित हैं) किया गया; चूँकि इस बंधनामे के अधीन.....रु0 (.....रु0) का मूलधन तथा उस पर देय ब्याज.....रु0 की धनराशि सहित देय है; और चूंकि उक्त समनुदेशक.....रु0 की धनराशि के लिए उक्त बंधनामे का अन्तरण करने पर सहमत हो गया है; अतएव अब इस विलेख का साक्ष्य स्वरूप तथा उक्त करार के अनुसरण में तथा उक्त क ख द्वारा ग घ को.....रु0 की धनराशि के प्रतिफल स्वरूप, जिस धनराशि की प्राप्ति उक्त ग घ एतद्द्वारा अभिस्वीकृति करता है, उक्त समनुदेशक फायदाग्राही स्वामी के रूप में एतद्द्वारा उक्त समनुदेशिती को समनुदेशित करता है और उसके द्वारा प्राप्त .. ..रु0 का मूलधन तथा..... रु0 का बकाया के रूप में अब तक देय.....रु0 की धनराशि और उस पर आगे देय होने वाला ब्याज तथा उक्त बंधनामे के तथा उसके आधार पर होने वाले सब ही हित, आगम तथा दावे, चाहे जो भी हो, एतद्द्वारा समनुदेशित करता है। और उक्त क ख, उक्त ग घ के साथ यह भी प्रसंविदा करता है कि उसे यह बंधनामा तथा उस बंधनामे के उसके आधार पर होने वाले सब हित, आगम तथा दावों के समनुदेशित करने का अधिकार है; और यह कि वह और उसकी ओर से दावा करने वाले सभी व्यक्ति समनुदेशिती को आगे विश्वास दिलाने के लिए उसके खर्च पर सभी ऐसे कार्य करेंगे, जिनकी वे समुचित रूप से अपेक्षा करेगा। और यह कि उक्त समनुदेशक उक्त समनुदेशिती के साथ आगे यह प्रसंविदा भी करता है कि वह उक्त समनुदेशिती और उसकी सम्पदा और उस पर पड़ने वाले प्रभाव को इस बंधनामा के आधार पर आगम या हित का किसी व्यक्ति के या ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के दावों के फलस्वरूप होने वाले खर्चों, भारों और व्ययों की क्षतिपूर्ति करेगा। इस कारण साक्ष्य स्वरूप उक्त क ख, और ग घ ने.....पर उपरिलिखित.....दिन और वर्ष को आगे हस्ताक्षर कर दिये हैं।

साक्षी :–

1. (1) क ख
2. समनुदेशक

(2) ग घ

समनुदेशिती